भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 206*

(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियम, 2025 का पुनर्निर्धारण

***206. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियम, 2025 को पुनर्निर्धारित किए जाने के अनुरोध के प्रस्ताव के बाद ओडिशा के हितधारकों सहित विभिन्न हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

(ख) एजेंसी के चयन और पुनर्निर्धारण की समय-सीमा तय करने के संबध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) भारत की डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को और सुदृढ़ करने के लिए किन-किन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इस पुनर्निर्धारण से विशेष रूप से ओडिशा जैसे उभरते क्षेत्रों और कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमियों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियम, 2025 के पुननिर्धारण के संबंध में दिनांक15.12.2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 206 के भाग (क) से (घ) से संदर्भित विवरण

(क): कोई डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियम 2025 नहीं हैं। अतः इसके पुर्नमूल्यांकन के लिए कोई प्रस्ताव का अनुरोध जारी नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ): भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।